
CHILD-FRIENDLY LOCAL GOVERNANCE

Institutionalising Bal and Balika Panchayats











बाल सुलभ एवं जेण्डर अनुकूल ग्राम पंचायत





Child-Friendly GPDP: A Video Demonstration

This video creates awareness about Bal Panchayats among the children as well as the villagers – villagers and children themselves are aware of and sensitive towards child rights









WASH and Health: A Video Demonstration

This video creates awareness among the villagers about access to clean drinking water and its implications on health









Early Marriage: Video Demonstrations

Video 1 aims to create awareness against early marriage (marriage before aged 18 years)



Stop Child Marriage and Educate a Girl Child





Gender Equality: A Video Demonstration

This video creates awareness among the villagers about gender equality









बाल अधिकार

भारत का संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन/कन्वेंशन (UNCRC) सभी बच्चों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता हैं।

इन अधिकारों को विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वस्थ और गैर-भेदभावपूर्ण वातावरण बनाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है कि बच्चों के सही देखभाल हो, उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए और वे सभी प्रकार के हिंसा, यौन शोषण आदि से सुरक्षित रहें।

इन्हें बाल अधिकार कहा जाता है।







Legal Provisions for Children: Global and India

UN Convention on the Rights of Children

Constitutional Provisions in India

The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) 1989 states that children have a right to be listened to when decisions are being taken that concern them. Having a voice in family matters is considered a protective factor from harm, and key to promoting children's wellbeing.



The Constitution of India guarantees Fundamental Rights to all children of the country belonging to every caste, community or religion on equal basis, whether they live in the cities or in villages. To make sure that children enjoy these rights, it also provides that government makes special laws and schemes for them.







Child-Friendly Villages and Children's Voice

On Major Challenges Faced by Children


In the true spirit of UN Convention of Child Rights 1989 (Article 12) and the Constitution of India, the expert group report on localization of SDG by MoPR has committed to build child-friendly villages through achieving the indicators captured as a part of the Theme 3 of the report of the local indicator framework.

















Key Issues to be Discussed in Bal/Balika Panchayats

The eventual objective is to ensure that children's voices are heard for village level planning, budgeting, implementation, and monitoring of various child-specific schemes and programs







संरक्षण का अधिकार / Right to Protection

सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा का अधिकार















Participatory Approach to the Major Challenges:

Experiments by UNICEF

UNICEF has experimented several models across various states and has engaged actively with multiple gram panchayats to closely work with women and children to prioritise identification and incorporation of child-related issues and challenges into the village perspective plans normally known as the gram panchayat development plans (GPDP).





How is UNICEF Engaging with GPs?

Mobilizing Children

Mobilizing and organising children and adolescents into Bal/ Balika Panchayats



Identifying Priorities

Helping children identify their needs and priorities, some of which could perhaps be addressed by their mothers

Mobilizing Women

Mobilizing and organising woman into Mahila Panchayats which would identify and prioritise issues not just of women but their children as well



Partnership

In partnership with gram panchayats and district administration, propose to institutionalise Mahila and Bal/Balika Panchayats as a part of the participatory governance agenda with the objective of achieving woman and child related SDG indicators through a localised approach

Weighing Alternatives

Weighing various alternatives to anchor Bal/Balika Panchayats within school and Anganwadi Centre or any other existing institutions within the decentralized governance system



¹Institutionalization

Institutionalising the Mahila Panchayats and Bal/
Balika Panchayats within the Panchayati Raj Act of select states







बाल उत्तरजीविता



ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं





टीकाकरण, पोषण और बाल अस्तित्व की निगरानी के लिए बच्चों को पाहेचानें।

पहचान

गर्भवती माताओं को टीकाकरण, पोषण और बच्चे के उत्तरजीविता के लिए पाहेचानें।



समय पर पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करना।

सुनिश्चित करना

▶ हर परिबार, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों आदि में सुरक्षित पेयजल और शौचालय सुनिश्चित करना



▶ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के साथ समन्वय।

सुगम करना

> VHSNC की नियमित बैठकें और 'आरोग्य दिवस' का अवलोकन



- सभी गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण और माताओं की उचित देखभाल।
- ▶ 100% संस्थागत प्रसव और टीकाकरण।
- सामुदायिक समूहों, एसएचजी आदि के साथ सरकारी योजनाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कम अपने में शादी और कम उम्रामें गर्भधारण जैसी सामाजिक बुराइयों पर जागुरुकृता कार्यकृत्य। y Ch

बाल विकास



ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं?





भर्ती

- ▶ बच्चों (0-6 वर्ष), विशेष रूप से कमजोर बच्चों को प्री-स्कूलिंग, पूरक पोषण, टीकाकरण, विकास निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में लाएं।
- स्कुल में छात्र और ड्रॉप आउट को रोकें।



सुनिश्चित करना



- ▶ विद्यालयों में वृक्षारोपण/िकचन गार्डन, चाहरदीवारी लगाना, साफ-सफाई और बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण।
- बच्चों के पार्क, खेल के मैदान का निर्माण और विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- साम्दायिक योगदान के साथ ब्क बैंक (नए, प्राने, दान किए गए आदि)/प्स्तकालय का निर्माण।
- ▶ मिड डे मील की ग्णवत्ता स्निश्चित करने के लिए स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ बातचीत और निगरानी करना।
- गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों आदि को दूर करने के लिए शिक्षकों, ग्राम शिक्षा समितियों और अभिभावकों के साथ बैठक/कार्यशाला।
- इॉप आउट बच्चों को वापस लाने के लिए विशेष अभियान।
- बाल दिवस, बालिका दिवस आदि आयोजनों का अवलोकन।
- 🕨 गरीब और कमजोर परिवारों की लड़िकयों और लड़कों को पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर विशेष पुरस्कार।





बाल संरक्षण



ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं?



प्रचार-प्रसार

 बाल श्रम, ट्रैफिकिंग, यौन शोषण, हिंसा, कम उम्र में शादी, कन्या भ्रूण हत्या और बच्चों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान।

► स्कूल में बच्चों की शारीरिक दंड को रोकने के लिए स्थानीय स्कूलों से विचार-विमर्श करना।



सुनिश्चित करना

- 'बाल हितैषी पंचायत' बनने के लिए बैठक/ग्राम सभा/वार्ड सभा में संकल्प।
- ▶ बाल विवाह, बाल श्रम, तस्करी आदि को रोकने/रिपोर्ट करने के लिए सामाजिक न्याय स्थायी सिमित और साम्दायिक सतर्कता समिति/समूहों को सिक्रय करें।
- ग्राम और प्रखंड बाल संरक्षण समिति, जिलों बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन (1098) आदि के संपर्क नंबरों का व्यापक प्रसार/प्रदर्शन।



आसान करना

- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति (सीपीसी) बनाना।
- ▶ बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों की पुलिस को रिपोर्ट करना।



- बाल तस्करी, बाल श्रम और लापता बच्चों को रोकने के लिए जोखिम वाले बच्चों (प्रवासियों/ अनाथों/कमज़ोर परिवारों) पर निगरानी।
- > अपराध/दुर्व्यवहार के पीड़ितों को कलंक और भेदभाव से बचाने के लिए परिवारों के साथ जुड़ें।

बाल भागीदारी



ग्राम पंचायतें क्या कर सकती हैं?





प्रचार-प्रसार

- 🕨 बच्चों की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस आदि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों/दिनों के अवलोकन में बच्चों को शामिल करना।
- ग्राम बाल सँरक्षण समिति (वीसीपीसी) में बाल प्रतिनिधित्व।



- बाल सभा का आयोजन जहां बच्चे अपने मृद्दों पर चर्चा कर सकते हैं।
- पंचायत क्षेत्र और संस्थानों में बच्चों के अनुकूल उपकरण जो बच्चों द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है (छोटा/नीचा शौचालय, नलकूप, बच्चों के पार्क) सुनिश्चित करें।
- पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी में बच्चों/िकशोरों की भागीदारी।
- ▶ किशोरों/बच्चों को पंचायत की बैठकों में उनके मृद्दों और राय को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करना।

- 🕨 बच्चों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स क्लब, साइंस क्लब, कल्चरल क्लब जैसे क्लबों के निर्माण को सुगम बनाना।
- पंचायत की क्षमता, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व और स्थानीय विकास के लिए संरक्षण पर बच्चों को शिक्षिता करने के लिए स्थानीय स्कूलों के साथ वकालत

unicef for every child



Call for Action

Child Survival

 IEC materials to generate awareness about the need and importance of improved access to public health service delivery, availability and accessibility of health services.

Child Development

Educating and awareness generation about cognitive development of children as well provide a
platform to raise and discuss child development related issues and convey them to the Gram Sabhas.

Child Protection

 Awareness generation among Gram Panchayat elected representatives and functionaries as well as among women and children for establishing and operationalising the Child Protection Committees at the GP level.

Child Participation

■ Work at the GP level to organise women and children assemblies (*Mahila & Bal/Balika Panchayats*) to identify and integrate children priorities into GPDPs.









Inank. John



unicef for every child